प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
विधानसभा अता. प्रश्न क्र. 3907

परिशिष्ट का प्रपत्र - एक
[16/3/2018]

~~परिशिष्ट - पैंतीस~~

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

प्रश्न सं. - [क्र. 3907]

سنہ ء		مورخہ		جلسہ نمبر		آئیٹم نمبر		مثل نمبر		سیکشن
सन्	20 01/07	दिनांक	2	बैठक क्र.	8	आयटम क्र.		नस्ती क्र.	लेखा	शाखा

نوٹ برغرض ملاحظہ بورڈ/کمیٹی

नोट बराय बोर्ड/कमेटी

विषय — वक्फ बोर्ड में ग्रेच्युटी योजना का लाभ प्रदान किये जाने बाबत ——— مضمون

बोर्ड का फैसला فیصلہ بورڈ	حوالہ صفحہ نمبر संदर्भ पृष्ठ क्र.	कार्यालय का नोट نوٹ دفتر
आयटम नं. 8 जलसा नं. 2 दिनांक 20-01-2007 —x— बोर्ड ने इस मामले में विचार के पश्चात यह पाया कि बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक न्योक्ता को ग्रेच्युटी का प्रावधान करना आवश्यक है। अतः पूर्ण विचार के पश्चात बोर्ड अपने वर्तमान कर्मचारियों को ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी योजना का लाभ देना स्वीकृत करता है। इसके लिये आवश्यक राशि बोर्ड निधि से व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है। (हस्ताक्षर) मुख्य कार्यपालन अधिकारी म० प्र० वक्फ बोर्ड, भोपाल		म०प्र० शासन के समस्त विभागों में ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना का लाभ दिया जाना अनिवार्य है। कार्यालय वक्फ बोर्ड में उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी का प्रावधान करना नियोक्ता के लिये अनिवार्य है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रेषित पत्र दि. 3/8/06 में वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना लागू करने के संबंध में निर्देश एवं स्पष्ट किया गया था जिस पर वक्फ बोर्ड कर्मचारियों ने इस योजना को लागू करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। चूंकि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 77 के अनुसार बोर्ड, वक्फ फण्ड की राशि को नियमानुसार व्यय करने के लिये सक्षम है तथा वक्फ फण्ड में वर्तमान में 1.00 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है जिससे यह योजना लागू की जा सकती है इसका बजट प्रावधान बजट वर्ष 2007-08 में किया जा चुका है। अतः ग्रेच्युटी योजना का प्रकरण मा० बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है (हस्ताक्षर) (नुसरत मेहदी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी म०प्र० वक्फ बोर्ड, भोपाल

(हस्ताक्षर)
अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग

विधानसभा अता॰ प्रश्न क्र. 3907

परिशिष्ट का प्रपत्र – दो

वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक वक्फ बोर्ड से सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सूची

कमांक	नाम	पद	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	जनाब शाहिद सईद खान	लेखा अधिकारी	31.12.2015
2	जनाब यूनुस अजीम	ए.ओ.एस.डी.	31.07.2016
3	जनाब मोहम्मद इकबाल	यू.डी.सी.	31.12.2018
4	जनाब तनवीर मोहम्मद कुरैशी	यू.डी.सी.	28.02.2017
5	जनाब शफीक मोहम्मद	एल.डी.सी.	30.09.2017
6	जनाब सैयद असगर अली	एल.डी.सी.	30.04.2016
7	जनाब मेहमूद अली कासमी	एल.डी.सी.	31.01.2015
8	जनाब जुल्फिकार अहमद	एल.डी.सी.	30.04.2013
9	जनाब मोहम्मद इरफान	आडिटर	30.10.2015
10	जनाब मुईद उददीन अलवी	यू.डी.सी.	31.01.2017
11	जनाब अब्दुल अली	भृत्य	30.06.2017
12	जनाब यूनुस खान	भृत्य	31.05.2015
13	जनाब मोहम्मद यूसुफ कुरैशी	भृत्य	31.03.2016
14	जनाब रफीक हुसैन	वाहन चालक	30.06.2016

अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
विभाग संचालन